



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12994

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 44976/2025

रमेश एवं अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: संतोष कुमार मिश्रा, विनय कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, जिला देवरिया को यह निर्देश देने के लिए है कि वे वाद संख्या 11724/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202505200211724) (दिवाकर दुबे बनाम रमेश एवं अन्य) में दायर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2025 को शीघ्रता से तय करें।
4. मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है और काफी समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, जिला देवरिया को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त वाद में दायर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से तय करें, लेकिन किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"